यू.पी.एस.सी. सी.एस. 2018 (मुख्य परीक्षा)
हिन्दी अनिवार्य हल प्रश्न पत्र

Time allowed : Three hours *Maximum Marks : 300*

प्रश्न-पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश:

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

- सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है।
- प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं।
- उत्तर हिन्दी में ही लिखे जाएँगे, यदि किसी प्रश्न-विशेष में अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
- जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द-संख्या निर्धारित है, वहाँ इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर, निर्धारित शब्द-संख्या की तुलना में काफी लंबा या छोटा है तो अंकों की कटौती की जा सकती है।
- प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग, जो खाली छोड़ा गया हो, उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए।

Q1. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबन्ध लिखिए: (1×100 = 100)

(a) लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका

(b) पर्यावरण और आत्मनिर्भरता

(c) भूमंडलीकरण में भाषा की भूमिका

(d) भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियाँ

Ans. (a) लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका

एक उदार लोकतांत्रिक राज्य में, न्यायपालिका की चार मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें एक फैसले के साथ जवाब देने के लिए कानून का शासन तैयार करना और एक फैसले के साथ जवाब देना, विवादों का निपटारा करना, कानूनी जाँच करना और राज्य की राजनीति में एक खिलाड़ी होना शमिल है। इन चार कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए, एक उदार लोकतांत्रिक राज्य के बुनियादी सिद्धांतों को एक कानूनी लोकतंत्र और राज्य के सिद्धांतों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। कोर नैतिक दुविधाओं, राजनीतिक विवादों और सार्वजनिक नीति के सवालों को संबोधित करने के लिए अदालतों पर और न्यायिक साधनों पर निर्भर यकीनन बीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत की सबसे परिणामी घटनाओं में से एक है। नई न्यायिक समीक्षा से लैस, दुनिया भर में राष्ट्रीय उच्च न्यायालयों को कई मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा गया है, जो अभिव्यक्ति और धार्मिक

स्वतंत्रता, प्रजनन और गोपनीय स्वतंत्रता, समानता के अधिकार के दायरे से भिन्न हैं। न्यायालयों का बढ़ता राजनीतिक महत्व न केवल पहले से अधिक विश्व स्तर पर व्यापक हो गया है, बल्कि इसने कई गुना अधिक विस्तृत, बहुपक्षीय घटना बनने की गुंजाइश बढ़ा दी है, जो कि न्यायाधीश की नीति-निर्धारण की 'मानक' अवधारणा से परे है।

न्यायपालिका की विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए, विकसित लोकतंत्रों ने "न्यायपालिका की संस्कृति" पर भरोसा किया है। निष्पक्षता के कर्त्तव्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अदालतों द्वारा महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि क्या सभी परिस्थितियों में, एक विशेष मामले में पालन की गई प्रक्रिया निष्पक्ष थी। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से निर्णय लेने की पारदर्शिता और खुली प्रक्रिया देश की सुरक्षा और अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के बीच एक स्वीकार्य संतुलन प्राप्त करने में सुरक्षा उपायों में से एक है। इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न्यायाधीश कानूनी समुदाय की अंतर्दृष्टि और ज्ञान पर भरोसा करना जारी रखेंगे। हालांकि विभिन्न प्रकार के विषयों से इनपुट भी आवश्यक है। सामुदायिक और सरकारी कर्मचारी, शिक्षाविद, सामाजिक, वैज्ञानिक और नीति निर्माता अधिक संपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करने में न्यायपालिका की सहायता कर सकते हैं। जटिल संतुलन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है जो नए कानून के तहत तर्कसंगत और विकास को बढ़ावा देगा। विधायिका को यह भी मानना होगा कि यह न्यायालय के कामकाज और अपने कर्मियों के चयन पर प्रभाव नहीं डाल सकती है क्योंकि यह नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच कई विवादों का एक पक्ष है, जिसे न्यायपालिका को हल करना है। नीति बनाने या लागू करने में न्यायपालिकाओं की भूमिका एक ऐसा विषय है जिसमें प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा से परे अच्छी तरह से जुड़ाव है। जब नीति निर्माण को न्यायिक कार्य का हिस्सा माना जाता है, तो यह महत्त्वपूर्ण है कि यह समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है, और न्यायिक विधि किस तरह से संबंधित है। जबकि आम कानून में एक विकास है, बदलती जरूरतों के साथ-साथ तर्कसंगतकरण के लिए उपयुक्त दबाव की प्रतिक्रिया के रूप में, संविधान में कानूनों के ज्ञान और प्रस्तावित परिवर्तन का पालन करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा इस तरह के विकास के लिए एक जवाबदेही है। वे अपने स्वयं के अनुशासन की प्रवृत्ति के भीतर इसे पूरा करते हैं।

हम लंबे समय से कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्विता में एक हथियार के रूप में मुकदमेबाजी के उपयोग के आदी हैं, लेकिन हम मुकदमेबाजी के राजनीतिक और सामाजिक रूप से आक्रामक उपयोग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इससे कुछ अदालतों के सामने आने वाले कार्यों के चरित्र में भी बदलाव आया है और अदालतें जनता के व्यवहार के तरीके पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।

न्यायपालिका हमारे लोकतांत्रिक समाज के रख-रखाव और सतत् विकास में जबरदस्त योगदान देने के लिए ज्ञान और अनुभव रखती है। न्यायालयों की भूमिका विवादों के निराकरण के रूप में, कानून के व्याख्याकार और संविधान के रक्षक की आवश्यकता है, उन्हें न्याय प्रणाली में अन्य सभी प्रतिभागियों से अधिकार और कार्य में पूरी तरह से अलग होना चाहिए।

(b) पर्यावरण एवं आत्मनिर्भरता

पर्यावरण और आत्मनिर्भरता के संबंध में आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है- पर्यावरण पर दबाव बनाए बिना आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अर्थात् स्वयं को ऐसा आत्मनिर्भर बनाना, जिससे पर्यावरण से बिना किसी छेड़-छाड़ के अपना विकास किया जा सके।

गैर-नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन पर हमारी निरंतर निर्भरता पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आत्मनिर्भर होने से हम भोजन, आश्रय, पानी इत्यादि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। हमारे पूर्वज एक स्तर पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे और वे प्राकृतिक संसाधनों से दूर थे या प्राकृतिक संसाधनों का अत्यल्प मात्रा में दोहन करते थे। यदि हम नए कौशल सीखने के लिए तैयार हैं तो हम अपने सोचने और जीने के तरीके को बदलकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और इससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सकेगी।

स्थानीय स्तर पर भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित कर परिवहन की आवश्यकता को समाप्त या कम कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। उक्त प्रदूषण के कारण कृषि में पौधों की सुरक्षा हेतु अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण समाधान है- जैविक उर्वरकों का प्रयोग। जैविक उर्वरक भी पैदावार बढ़ाने में कारगर हैं। जैविक उर्वरक का एक और महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम नहीं होती।

आवास का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी या मिट्टी के प्रयोग से किया जा सकता है। इसके लिए स्वयं को तैयार कर पर्यावरण पर कार्बन फुटप्रिंट का प्रभाव किया जा सकता है। इससे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले संसाधनों के दोहन से बचा जा सकता है, साथ ही घरों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अन्य संसाधनों के परिवहन को भी कम किया जा सकता है। पानी का समुचित उपयोग पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रैनवाटर कैचमेंट सिस्टम घरों से छतों से पानी को भर कर टैंक में इक्ट्ठा करना एक प्रभावी तरीका है, जो घरेलू आवश्यकता के लिए पानी की आपूर्ति कर सकता है। अनेक जगहों पर वर्षा का पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, जो अपेक्षाकृत स्वच्छ होता है तथा

इसका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है। वर्षा जल के संरक्षण से पानी के उपयोग में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जा सकता है तथा नदियों और समुद्र के प्रदूषण को कम किया जा सकता है क्योंकि वर्षा जल का संग्रहण न होने के कारण वह विभिन्न माध्यमों से होता हुआ नदियों और समुद्रों में पहुँचता है, जिससे नदियाँ और समुद्र प्रदूषित होते हैं। शहरी और औद्योगिकि क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषित जल को शुद्ध कर उसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है और इस तरह उस प्रदूषित जल को नदियों में मिलने से रोका जा सकता है।

सौर और पवन ऊर्जा को अधिकाधिक विकसित कर कोयला और ईंधन तेल जैसे गैर-नवीकरणीय ईंधन पर निर्भरता को समाप्त किया जा सकता है। इससे किसी भी आवश्यकता के लिए बिजली की आपूर्ति, पर्यावरण को बिना प्रदूषित किए हो सकती है। ऊर्जा को संरक्षित करने वाले कई उपकरणों - एलईडी बल्ब आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ड्रायर के बजाय क्लोथलाइन का उपयोग, फ्लोरोसेंट के उपयोग, जहाँ तक हो सके गर्म पानी के बजाय ठण्डे पानी का उपयोग कर ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऊर्जा का जितना अधिक उपयोग किया जाएगा, पर्यावरण को उतना ही अधिक नुकसान होगा।

परिवहन, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। अतः इसका हल आवश्यक है। इसके लिए जहाँ तक संभव हो अपने कार्यस्थल के पास अपना आवास रखना चाहिए, ताकि परिवहन की आवश्यकता कम-से-कम पड़े। यदि कार्यस्थल से आवास दूर है तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग किया जा सकता है। परिवहन साधनों में हरित ईंधन (बायोडीजल, इथेनॉल आदि) तथा विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है।

वस्तुतः आत्मनिर्भर रहने के कई फायदे हैं, किन्तु सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को है। आज पर्यावरण के लिए आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है। यह कोई असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है अपनी सोच बदलने की और अपनी आवश्यकता सीमित करने की।

(c) भूमण्डलीकरण में भाषा की भूमिका

आज पूरा विश्व तीव्र गति से भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है। भूमण्डलीकरण में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है- संचार; तथा संचार का सबसे प्रमुख स्रोत है - भाषा। भाषा के बिना भूमण्डलीकरण संभव नहीं है। भूमण्डलीकरण में पूरा विश्व सिमटकर एक गाँव जैसा बन गया है और इस गाँव में एक-दूसरे की संस्कृति और कही गयी बातों को समझने के लिए एक समर्थ भाषा की आवश्यकता होती है।

वैश्वीकरण के इस युग में विश्व को एक नया रूप दिया जा रहा है। इसके तहत् विश्व का ज्यादा सरल, ज्यादा सुविधा सम्पन्न और ज्यादा मुक्त बनाने के लिए

भाषा और संस्कृति की बहुलता जैसे अवरोधों को दूर किया जा रहा है। भूमण डलीकरण की प्रक्रिया इस अवधारण पर टिकी हुई है कि स्थानीय और भाषिक सांस्कृतिक बहुलता मनुष्य की आदिम सभ्यता के ऐसे अवशेष हैं, जो नयी निर्मित हो रही विश्व सभ्यता के मार्ग बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं। भूमण्डलीकरण में भाषा एवं संस्कृति की विविधता को बोझ समझा जा रहा है, इसलिए हर प्रकार की विविधता को समाप्त कर विश्व को एकरूप बनाने की कोशिशें हो रही हैं।

ऐसे में भूमण्डलीकरण का भाषा पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है, किन्तु सकारात्मक प्रभाव अंग्रेजी जैसी कुछ भाषाओं पर ही पड़ा है। भूमण्डलीकरण में भाषा एक-दूसरे को जोड़ने का काम करती है, और अंग्रेजी भाषा इस काम में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी है। कहा जाता है कि भूमण्डलीकरण और अंग्रेजी भाषा एक-दूसरे को खींचने का काम करते हैं। व्यापार और वाणिज्य का वैश्वीकरण, विविध क्षेत्रों में कार्य में कार्यबल की बढ़ती विविधता ने अंग्रेजी भाषा के उपयोग के महत्त्व को बढ़ा दिया है। आज वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी भाषा संचार का पर्याय बन गयी है।

अंग्रेजी भाषा को उत्पादन और उत्पादकता के भंडार गृह की कुंजी माना जा सकता है। हम अपने विश्व दृष्टिकोण और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस भाषा का उपयोग कर सकते हैं। वैश्वीकरण ने अंग्रेजी भाषा को लाइमलाइट में ला दिया है। भाषा के उपयोग का परिदृश्य काफी बदल गया है।

इस वैश्विक दुनिया में अंग्रेजी नवीनतम व्यवसाय प्रबंधन की भाषा है। अंग्रेजी भाषा केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए एक साधन नहीं है, यह अंतर-राज्य वाणिज्य और संचार के लिए आवश्यक हो गया है। यह एयर ट्रांसफर और शिपिंग की आधिकारिक भाषा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और वाणिज्य की प्रमुख भाषा और शिक्षा का एक प्रमुख माध्यम से बढ़े हुए संचार के युग में, दुनिया अधिक से अधिक वैश्विक रूप से उन्मुख होती जा रही है। व्यवसाय, परिवार, दोस्त और सामान्य हितों वाले कई अन्य समूह भौगोलिक सीमाओं को पार करने वाले छोटे टेली या साइबर संचार बनाने में सक्षम हैं।

भूमण्डलीकरण के युग में सिरमौर बनी अंग्रेजी अन्य सभी भाषाओं को दबाती जा रही है।

यह सही है कि भाषा के बिना भूमण्डलीकरण संभव नहीं है, किन्तु इस भूमण्डलीकरण के कारण विश्व की अनेक भाषाएँ अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही हैं। अंग्रेजी के वर्चस्व और अन्य भाषाओं के संरक्षण के अभाव में सैकड़ों भाषाएँ समाप्ति के कगार पर हैं। वर्तमान में एक ऐसा वातावरण व्याप्त है, जिसमें मातृभाषाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने की बात करना वक्त को पीछे लौटाना जैसा माना जा रहा है।

यह एक दिलचस्प तथ्य है कि 1961 की जनगणना में भारत में जहाँ 1,652 भाषाओं का जिक्र है, वहीं 1971 में यह घटकर 182 और 2001 में मात्र 122 हो गई। स्पष्ट है कि इन पाँच दशकों में भारत की 1530 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। इंटरनेट पर हर कुछ खंगालने वाली युवा पीढ़ी भी उन्हीं भाषाओं को तरजीह देती है जिनका उनके कैरियर से कोई वास्ता होता है। नतीजन प्रगति और विकास के तमाम दावों के बीच कई भाषाएं व बोलियाँ अपनी उपेक्षा के चलते दम तोड़ती नजर आ रही हैं। अंग्रेजी के वर्चस्व और संरक्षण के अभाव में सैकड़ों भाषाएं समाप्ति के कगार पर हैं।

संयुक्त राष्ट्र की पहली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडीजीनस पीपुल्स रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दुनिया भर में छह से सात हजार तक भाषाएँ बोली जाती हैं, इनमें से बहुत-सी भाषाओं पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अधिकतर भाषाएँ बहुत कम लोग बोलते हैं, जबकि बहुत थोड़ी सी भाषाएँ बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती हैं। सभी मौजूदा भाषाओं में से लगभग 90 फीसदी अगले 100 सालों में लुप्त हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया की लगभग 97 फीसदी आबादी इनमें से सिर्फ चार फीसदी भाषाएँ बोलती हैं। यूनेस्को द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक ठेठ आदिवासी भाषाओं पर विलुप्ति का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इन्हें बचाने की आपात स्तर पर कोशिशें करनी होंगी।

अंतत: यह कहना ठीक होगा कि भाषा, भूमण्डलीकरण को आगे तो ले जा रही है, किन्तु वह केवल एक है - अंग्रेजी।

(d) भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियाँ

वर्तमान समय में जब अनेक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनिश्चितताओं का आवरण है, तब भारत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावनाओं के साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है... और वह है राजकोषीय घाटा। भारत में आर्थिक स्तर पर वित्तीय अनुशासन की कमी रही है, जबकि आर्थिक शक्ति बनने के लिये देश में आर्थिक अनुशासन का वातावरण अनिवार्य रूप से होना चाहिये। इस वित्तीय अनुशासनहीनता का ही दुष्परिणाम है- राजकोषीय घाटा। बढ़ता राजकोषीय घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे ब्याज दरों के साथ-साथ मुद्रास्फीति तक (महँगाई) भी बढ़ती है।

भारत की बैंकिंग प्रणाली ऐसी चुनौती भरी पृष्ठभूमि में अपेक्षाकृत लंबे समय से कार्य कर रही है, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इनके मद्देनजर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वैश्विक जोखिम मानदंडों के अनुरूप उनकी पूंजी जरूरतों को पूरा करने और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिये पूंजी लगा रही है। लेकिन एनपीए का स्तर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाने के कारण चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि किसी काम की नहीं है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक बड़ी चुनौतियों में से एक है- रोजगार सृजन की चुनौती। इस समस्या के समाधान के लिये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमारे देश में लगभग 13-15 लाख युवा प्रतिवर्ष कार्यशील जनसंख्या में तब्दील हो जाते हैं, जो रोजगार के उपयुक्त अवसरों की तलाश में रहते हैं। दूसरी ओर देश की लगभग आधी आबादी कृषि में लगी है तथा वहाँ और अधिक लोगों को रोज़गार दे पाना संभव नहीं है। अत: समय की मांग यही है कि गैर-कृषि क्षेत्रों में-रोजगार सृजन के उपाय किये जाएँ।

इसी के साथ इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम आवर्स द्वारा दुनिया में बढ़ रहे धन के समान वितरण के संबंध में रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, गत वर्ष भारत में कुल धन का 73 प्रतिशत का केवल एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास था, जबकि देश की (लगभग आधी आबादी) 67 करोड़ की आय में मात्र एक प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जो कि निर्धन है। इतना ही नहीं देश की सबसे गरीब आबादी (3.7 करोड़) की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह इस बेहद चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करता है।

वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत अधिक नहीं है, फिर भी कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को निश्चित ही प्रभावित करती है। स्वतंत्रता के समय देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत था, जो अब घटकर केवल 14 प्रतिशत रह गया है।

सर्वाधिक उत्पादकता वाले इस क्षेत्र पर देश की लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है। घटी हुई विकास दर न केवल कृषि पर निर्भर देश के 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महँगाई से परेशान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में बढ़ोत्तरी होने से घरेलू बाजारों में तेल की कीमतें राजग सरकार के शासनकाल में सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गई हैं, जिसका विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत भारी विदेशी मुद्रा खर्च कर अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और ऐसे में इसके घरेलू दामों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। सर्वाधिक तेज़ विकास दर के बावजूद विश्व के अन्य कई देशों की तरह ही भारत की अर्थव्यवथा भी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। कृषिगत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति, रोज़गार सृजन की चुनौतियाँ और कई आर्थिक क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन भारत की मुख्य समस्याएँ हैं।

विकास की गति बनाए रखने के लिये प्रचलित तरीकों में बदलाव लाते हुए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की आवश्यकता है जो इन्हें एक दूसरे के प्रति-उत्तरदायी बना सकें।

Q2. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए: (12×5=60)

संसार का ध्यान गाँधी जी की ओर इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशु-बल के समक्ष आत्म-बल का शस्त्र निकाला, तोपों और मशीन-गनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया। किन्तु सोचने की बात यह है कि अहिंसा का आश्रय उन्होंने क्यों लिया? क्या इसलिए कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंसा का आश्रय लेकर वे भारत को स्वाधीन नहीं कर सकते थे? अथवा इसलिए कि मानव-समाज को वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि मनुष्य जब तक पाशविक साधनों का प्रयोग करने को बाध्य है, तब तक वह पूरा मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता? पहली बात अहिंसा को कमज़ोर एवं निरुपाय व्यक्ति का साधन बताती है, जिसका अर्थ यह होता है कि तोपें जब हमारे पास नहीं हैं, तब सत्याग्रह ही सही। किन्तु दूसरी बात अहिंसा को मनुष्य के विकास का साधन बनाती है; उसके रूप को निर्मल बनाने का उपाय सिद्ध करती है।

यह सच है कि गाँधी जी के नेतृत्व में जब भारतवासी ब्रिटेन से संघर्ष कर रहे थे, तब उनमें से अधिकांश का यही भाव था कि अहिंसा साधन भर है, जिसका अवलंब हमने इसलिए लिया है कि हिंसक साधनों से अंग्रेज़ों का सामना करने की हमें सुविधा और सुयोग नहीं है। किन्तु स्वयं गाँधी जी इस विचार को नहीं मानते थे। अहिंसा को गँवाकर वे भारत को स्वाधीन करने के पक्षपाती नहीं थे। भारतीय स्वाधीनता बहुत बड़ा लक्ष्य थी, उससे भी बड़ा ध्येय मानव-स्वभाव में परिवर्तन लाना था, मनुष्य को यह विश्वास दिलाना था कि जिन ध्येयों की प्राप्ति के लिए वह पाशविक साधनों का सहारा लेता है, वे ध्येय मानव-मूल्यों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

गाँधी जी का मुख्य उद्देश्य न केवल अपने देशवासियों के कष्टों का निवारण, प्रत्युत मनुष्य के पाशवीकरण का अवरोध भी था। घृणा, क्रोध और आवेग, ये पशुओं को ही होते हैं और वे भी अपने प्रतिपक्षी का सामना उन शस्त्रों से करते हैं। लेकिन मनुष्य पशु से भिन्न है, अतएव उचित है कि वह अपने आवेगों पर नियंत्रण लगाए और अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के सुलझाने में उन उपायों से काम ले, जो पशुओं के लिए दुर्लभ, किन्तु मनुष्य के लिए सुलभ हैं। प्रश्न उठता है कि गाँधी जी ने ऐसा निश्चय क्यों किया? और अहिंसा का यह प्रयोग किसी अन्य देश में आरंभ न होकर भारत में ही क्यों आरंभ हुआ? बहुत से लोग इस प्रश्न को यह कहकर टाल देंगे कि यह आकस्मिक बात थी। किन्तु आकस्मिक बात यह थी नहीं। कहते हैं, सत्याग्रह अथवा सविनय अवज्ञा की कल्पना अमेरिका के चिंतक थुरो ने भी की थी और इसकी थोड़ी-बहुत झलक रूस के संत साहित्यकार टॉल्स्टॉय, को भी मिल चुकी थी। गाँधी जी थुरो और टॉल्स्टॉय, दोनों के ही विचारों से परिचित थे। अपने देश में भी गाँधी जी से पूर्व, अरविन्द सविनय अवज्ञा और असहयोग का सुझाव देश के सामने रख चुके थे। फिर महत्त्वपूर्ण सवाल है कि इसका प्रयोग सबसे पहले भारत ने ही क्यों किया?

उत्तर स्पष्ट है कि आत्म-बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ है, इस सत्य को जितना भारतवासी जानते थे, उतना अन्य देशों के लोग नहीं। थुरो, टॉल्स्टॉय अथवा एमर्सन और रोम्या रोलाँ में इस प्रकार की जब भी कोई भावना जगी, तब उसके पीछे भारतीय दर्शन की उत्तेजना काम कर रही थी। सविनय अवज्ञा की कल्पना तक जाने का दर्शन इस देश में विद्यमान था और इस कल्पना तक वही व्यक्ति जा सकता था जो या तो भारतीय विचारधारा से प्रभावित हो अथवा अनायास उस प्रकार की चिंतन-पद्धति पर आ गया हो जो भारत की पद्धति रही है। थुरो और टॉल्स्टॉय के संबंध में दोनों ही विकल्प संभव रहे होंगे। रह गए अरविन्द, सो वे भारतीय थे ही।

(a) संसार का ध्यान गाँधी जी की ओर किसलिए आकृष्ट हुआ? **(12)**

(b) स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए गाँधी जी द्वारा अहिंसा को ही क्यों मुख्य साधन माना गया? **(12)**

(c) लेखक ने मनुष्य और पशु में क्या अंतर बताया है? **(12)**

(d) अहिंसा का प्रयोग भारत में ही क्यों आरंभ हुआ? **(12)**

(e) सविनय अवज्ञा की कल्पना तक कौन जा सकता था? **(12)**

Ans. (a) गाँधी जी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में अहिंसा एवं सत्याग्रह जैसे मानवीय साधनों का प्रयोग करके संसार का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे शारीरिक बल की तुलना में आत्मबल को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे।

(b) गाँधी जी के लिए अहिंसा स्वाधीनता के लिए एक प्रमुख साधन था। वे अहिंसा को साधन मात्र से बढ़कर समझते थे। अत: वे अहिंसा को गँवाकर स्वाधीनता के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि मनुष्य पशुओं से भिन्न है, इसलिए उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पशुओं से भिन्न साधन अपनाने चाहिए।

(c) लेखक के अनुसार मनुष्य पशुओं से भिन्न है तथा मनुष्य का आचरण भी पशुओं से अलग होना चाहिए। घृणा, क्रोध एवं आवेश पशुओं के साधन हैं, जिसे वे अपने प्रतिपक्षी के विरुद्ध प्रयोग में लाते हैं। ये मानवीय नहीं कहे जा सकते हैं। अत: मनुष्य को अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसे साधन अपनाने चाहिए जो पशुओं के लिए दुर्लभ किंतु मनुष्य के लिए सुलभ हैं।

(d) भारत की चिंतन पद्धति एवं आध्यात्मिक दर्शन आत्मबल को महत्त्व देने वाला है। भारत संस्कृति की कर्म-फल की अवधारणा, अहिंसा एवं सद्कर्म की प्रेरणा देने वाली है। यहां तक कि थुरो और टॉलस्टॉय जैसे विचारक भी भारत से प्रेरित होकर अहिंसक आचरण की कल्पना करते हैं। अत: भारत में अहिंसा के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उर्वर भूमि थी।

(e) सविनय अवज्ञा की वैचारिक समानता भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म से देखी जा सकती है। अत: इस कल्पना को मूर्त रूप वहीं दे सकता था जो भारतीय विचारधारा से प्रत्यक्षत: प्रभावित हो अथवा अनायास ही भारतीय चिंतन का अनुकरण करता हो।

Q3. निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग एक-तिहाई शब्दों में लिखिए। इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है। सारांश अपने शब्दों में ही लिखिए।(1×60 = 60)

आज के आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों-कानूनों का जितना ज्ञान है, उतना शायद पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। असली अर्थ में वह ऐतिहासिक 'मनुष्य' है। एक तरह से इतिहास-बोध ही आधुनिकता का पर्याय मान लिया गया है। मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केन्द्रीय स्थान था, उसने धीरे-धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी है। मनुष्य प्रकृति के परिवेश में नहीं, इतिहास के संदर्भ में जीता है– इस संदर्भ में हर घटना पिछली घटना से नयी है, जो अब हो रहा है वह पहले कभी नहीं हुआ। मनुष्य के क्रमिक विकास का यह बोध प्राचीन यूनानियों के लिए अजनबी और पराया था। भारतीय मनीषियों के लिए भी यह उतना ही अजनबी था। वे समय को विकास के रूप में नहीं, 'चक्र' के रूप में देखते थे। पहले 'परंपरा' मनुष्य के भीतर थी, जो उसकी जीवन-शैली को अनुशासित करती थी, अब इतिहास मनुष्य के भविष्य को निर्धारित करता है और परंपरा खोजने के लिए उसे पीछे की ओर देखना पड़ता है।

किंतु यह बात सच है कि इतिहास का जो प्रभुत्व आज हमारे जीवन में है वह पहले कभी नहीं था, वहाँ यह बात भी उतनी ही सत्य है कि मनुष्य आज समय और इतिहास से परेशान है। उन्नीसवीं शती में सार्वभौमिक सत्ता से संपन्न जो इतिहास-बोध मनुष्य की प्रगति और मुक्ति का संदेश लाया था, वह हमारे समय तक आते-आते अपनी ही क्रूर पेरोडी में परिवर्तित होता दिखाई देता है। भविष्य को निर्धारित करने वाले नियम, कानून, फार्मूले अब भी हैं किन्तु उन पर बीसवीं शताब्दी के अत्याचारों और मोहभंग का इतना गहरा प्रभाव है कि वे भविष्य के बंद कमरों में कहीं फिट नहीं हो पाते। कैसा है यह वैज्ञानिक, तर्कशील, गौरवपूर्ण अर्थबोध, जिसने आज मनुष्य को स्वयं अपने ही भविष्य के प्रति इतना अरक्षित, आतंकित और अनाश्वस्त बनाकर छोड़ दिया है?

यह नहीं कि हम मानव भविष्य के बारे में जानते नहीं। आज के आधुनिक मनुष्य ने इतिहास-बोध से उत्प्रेरित होकर भविष्य के बारे में जो परिकल्पना और संभावना खोजी हैं, उनके आधार पर संपूर्ण भविष्य की पूरी एक रसायन शाला बनायी जा सकती है। किन्तु इस भविष्य का वर्तमान की विभीषिका से कोई संबंध नहीं, बल्कि यूँ कहें, वर्तमान की विभीषिका से बचने के लिए ही इस 'ऐतिहासिक भविष्य' का निर्माण किया गया है– वह चाहे वर्गहीन समाज का स्वप्न हो या कम्प्यूटर-निर्धारित 'रोबो' का यंत्रलोक,

इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम वास्तविक समय में नहीं, एक काल्पनिक समय में जीते हैं– और विचित्र बात यह है कि इस भविष्य में मनुष्य की मृत्यु को देश-निकाला दे दिया गया है क्योंकि स्वयं अपनी मृत्यु से भयभीत होकर हमने भविष्यलोक में शरण ली है।

यह आधुनिक युग की विचित्र विडंबना मानी जाएगी कि एक तरफ आज का मनुष्य 'इतिहास-बोध' से आक्रांत है, दूसरी तरफ मृत अतीत और काल्पनिक भविष्य के बीच स्वयं इतिहास की जीवंत धारा सूख गयी है। जिस तरह नदी में डूबता आदमी पानी से रिश्ता नहीं जोड़ पाता उसी तरह इतिहास में डूबा मनुष्य समय का मर्म नहीं जान सकता। वह इतिहास से प्रभावित हो सकता है, किन्तु उसे अपने जीवन और मृत्यु का साक्षी नहीं बना सकता; वह इतिहास जो इस धरती पर मनुष्य का साक्षी न बन सके, उसका क्या अर्थ रह जाता है? यही कारण है कि आज इतिहास-बोध आधुनिक मनुष्य का अंधविश्वास बनकर रह गया है जिसके पास वह भविष्य का अर्थ टटोलने नहीं, वर्तमान से छुटकारा पाने जाता है।

किन्तु क्या हम वर्तमान से छुटकारा पा सकते हैं? क्या वर्तमान ही ऐसा केन्द्र-बिन्दु नहीं है जहाँ मनुष्य अपनी नश्वरता के बावजूद इतिहास में अपनी संपूर्ण स्थिति को समझने योग्य है? जहाँ एक तरफ तो मनुष्य नश्वर है दूसरी ओर वह इतिहास में जीवित है। यह नियति उसके व्यक्तिगत अतीत से सम्बन्ध रखती है, किन्तु उसके साथ वह मनुष्य के समग्र भविष्य को भी आलोकित करती है जिसमें दूसरे लोगों की नियति भी जुड़ी है। (661 शब्द)

Ans. आधुनिक मनुष्य इतिहास के प्रति अत्यधिक सजग है। वर्तमान में इतिहास का वही स्थान है जो मध्यकाल में धर्म का था। इतिहास की वर्तमान क्रमिक विकास की अवधारणा से यूनानी एवं चक्रीय अवधारणा को मानने वाले भारतीय मनीषी भी अनभिज्ञ थे। हमारी जीवनशैली इतिहास से काफी सीमा तक प्रभावित रहती है। इस प्रभाव में कुछ नकारात्मकताएँ भी देखने को मिलती हैं। इतिहास से जो प्रेरणा हमें 20वीं सदी में मुक्ति का संदेश दे रही थी, अब वही हमारे लिए बंधन से कम प्रतीत नहीं होती है। विकास की नवीन परिपाटी ने असुरक्षा के भाव को भी उतनी ही मात्रा में बढ़ाया है।

मनुष्य ने इतिहास बोध से प्रेरणा लेकर भविष्य का एक संभावित पूर्वानुमान लगाया है। यह ऐतिहासिक भविष्य कपोल कल्पित कल्पनाओं से भरा एवं सभी चिंताओं से मुक्त है, मानो भविष्य वर्तमान विभीषिका से पृथक हमें आश्रय देने वाला है। हमारे इतिहास बोध एवं काल्पनिक भविष्य के मध्य का वर्तमान कहीं लुप्त दिखाई पड़ता है। इतिहास को वर्तमान से जुड़ पाने में असमर्थता इतिहास बोध की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। वर्तमान एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर मनुष्य अपने संपूर्ण इतिहास का साक्षात्कार कर सकता है। अंततः वर्तमान की अनदेखी करके भविष्य को टटोलना निरर्थक प्रतीत होता है।

Q4. निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए: (20)

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नवीन आविष्कारों ने मानव जाति को जिन विस्मयकारी उपलब्धियों से संपन्न बनाया है, उनमें सूचना तकनीक प्रमुख है। विश्व के किसी भी कोने में बैठकर आज हम वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कहीं से भी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्ति की इस सुविधा ने देशों की दूरियाँ समाप्त कर दी हैं। अब लगता है कि संपूर्ण संसार सिमटकर हमारी मुट्ठी में आ गया है। वैसे भी 'वैश्वीकरण' और 'वसुधैव कुटुंबकम्' की अवधारणा वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में तेज़ी-से फलीभूत होती प्रतीत हो रही है।

आज हम उस युग को याद करें जब डाक भेजने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। सूचनाओं का आदान-प्रदान संदेशवाहकों द्वारा होता था। इस काम में लंबा समय लगता था। उस समय तक जीवन कितना कठिन रहा होगा इसका सहज अनुमान लगाना आज आसान नहीं है। समय ने करवट ली और सूचना के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग होने लगे। डाक-तार, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि की व्यवस्था की गयी। पत्रों द्वारा संदेश पहुँचने लगे। जीवन में गति आयी तथा रेडियो और टेलीविज़न ने इस दिशा में कदम बढ़ाए। कम्प्यूटर के आगमन के साथ ही सूचना जगत में क्रांति का सूत्रपात हो गया। इंटरनेट के विकास के बाद सारे कम्प्यूटर आपस में जुड़ गए तथा त्वरित संप्रेषण में और भी आसानी हो गयी। सूचना जगत में नए-नए परिवर्तन आ रहे हैं तथा नवीन से नवीन जानकारी तुरंत मिल जाती है। आज मनुष्य अपने किसी उत्पाद का विज्ञापन संपूर्ण विश्व में कहीं भी आसानी से कर सकता है। वह पारंपरिक हथियारों से लड़े बिना युद्ध कर सकता है। लगभग सभी घरों और कार्यालयों में आज कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है जिसकी सहायता से हवाई जहाज, रेल, बस और सिनेमा आदि के टिकट आसानी से बुक किए जा सकते हैं। आरक्षण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सड़क यातायात की हालत का पता लगाया जा सकता है। आज मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से सब-कुछ घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। सचमुच संवाद और सूचना संप्रेषण का यह सबसे सस्ता साधन है।

Ans. The present era is the era of information technology. Information technology is prominent among the amazing achievements made by innovators in the field of science, which have made mankind prosperous. Today, sitting in any corner of the world, we can get any information from anywhere with the help of scientific instruments. This facility of receiving information has ended the distances of countries. Now it seems that the whole world has shrunk in our grasp. The concept of 'globalization' and '*Vasudhaiva Kutumbakam*' seems to be flourishing rapidly in this era of scientific progress.

Today, let us remember the era when there was no proper system for sending mail. Information was exchanged by messengers. This work took a long time. It is not easy to estimate how difficult life must have been till that

time. Time took a turn and new innovations were being made in the field of information. Post-telegram, telephone, telegram etc. were arranged. Messages started reaching through letters. Life got momentum and radio as well as television took steps in this direction. With the access of computer, revolution started in the information world. After the development of the Internet, all computers were interconnected and instant communication became easier. New changes are coming in the information world and new information is available immediately. Today, human beings can easily advertise any of their products anywhere in the world. He can fight war without fighting conventional weapons. Computer and Internet facilities are available in almost all homes and offices today with the help of it, tickets for aeroplane, rail, bus and cinema etc. can be easily booked. Reservation status information can be obtained. The condition of road traffic can be ascertained. Today everything can be obtained sitting at home through internet on mobile. It is really the cheapest means of communication and information communication.

Q5. निम्नलिखित गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए: (20)

Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. Democracies throughout the world have recognised this, at least in principle. This has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognise that all individuals are equal.

Take the case of dignity of women. Most societies across the world were historically male dominated societies. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect. But once the principle is recognised, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally.

Ans. लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सरकार के किसी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति अन्य साथियों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है। प्राय: लोगों के मध्य इस बात को लेकर टकराव उत्पन्न होता है कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। सम्मान तथा स्वतंत्रता के लिए जुनून लोकतंत्र का आधार है। विश्व भर के लोकतंत्र इसे स्वीकार करते हैं, कम से कम सिद्धांतों में तो अवश्य ही। यह विभिन्न लोकतंत्र में अलग-अलग मात्रा में प्राप्त किया गया है। उन समाजों के लिए जो लंबे समय तक अधीनता और वर्चस्व के आधार पर निर्मित हुए हैं, यह

स्वीकार करना कि सभी व्यक्ति समान है कोई सामान्य बात नहीं है।

महिलाओं की गरिमा के मामले को लें। विश्व भर के अधिकांश समाज ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान समाज थे। महिलाओं द्वारा लंबे संघर्ष ने आज अवश्य उनके प्रति कुछ संवेदनशीलता पैदा कर दी है, जिससे महिलाओं का सम्मान तथा समान व्यवहार को लोकतांत्रिक समाज का आवश्यक तत्व माना जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि महिलाओं के साथ सदैव सम्मान पूर्ण व्यवहार होता है। परंतु एक बार जब इसे सैद्धांतिक मान्यता मिलती है तो महिलाओं के लिए कानूनी और नैतिक रूप से ऐसी कार्य व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष करना आसान हो जाता है।

Q6. (a) निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए: (2×5 = 10)

(i) उड़ती चिड़िया पहचानना

(ii) नाकों चने चबवाना

(iii) छाती पर मूँग दलना

(iv) सेमल का फूल होना

(v) पौ बारह होना

(b) निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए: (2×5 = 10)

(i) आप अपना काम स्वयं कर लो।

(ii) मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है।

(iii) इस गीत की दो-चार लड़ियाँ सुना दो।

(iv) मेरे को खाना दे दीजिए।

(v) वे इस ज़िले के धनी व्यक्ति है।

(c) निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए: (2×5 = 10)

(i) बादल

(ii) जीभ

(iii) अमृत

(iv) सूर्य

(v) परिवार

(d) निम्नलिखित युग्मों का इस तरह से वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए: (2×5 = 10)

(i) नीरज – नीरद

(ii) अवलंब – अविलंब

(iii) अन्न – अन्य

(iv) अनल – अनिल

(v) उपयुक्त – उपर्युक्त

Ans. (a) निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

(i) उड़ती चिड़िया पहचानना

अर्थः मन के भाव जान लेना

वाक्य प्रयोगः गुप्तचर विभाग के अफसर वही बन पाते हैं जो उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं।

(ii) नाकों चने चबवाना

अर्थः बहुत परेशान करना

वाक्य प्रयोगः रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में अंग्रेजों को चने चबा दिए थे।

(iii) छाती पर मूंग दलना

अर्थः परेशान करना

वाक्य प्रयोगः कुछ विद्यार्थी कक्षा में ऐसा आचरण करते हैं, मानो अध्यापक की छाती पर मूंग दलने आए हों।

(iv) सेमल का फूल होना

अर्थः थोड़े दिनों का अस्तित्व होना

वाक्य प्रयोगः अयोग्य व्यक्ति का उच्च पद धारण करना सेमल का फूल होने के समान होता है।

(v) पौ बारह होना

अर्थः लाभ होना

वाक्य प्रयोगः लॉटरी में पहला पुरस्कार जीतने पर सुरेंद्र के पौ बारह हो गए।

(b) निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए।

(i) आप अपना काम स्वयं कर लो।

शुद्ध रूपः अपना काम स्वयं कर लीजिए।

(ii) मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है।

शुद्ध रूपः मुझे भगवान पर विश्वास है।

(iii) इस गीत की दो-चार लड़ियां सुना दो।

शुद्ध रूपः इस गीत की दो-चार कड़ियाँ सुना दो।

(iv) मेरे को खाना दे दीजिए।

शुद्ध रूपः मुझे खाना दे दीजिए।

(v) वे इस जिले के धनी व्यक्ति है।

शुद्ध रूपः वह इस जिले का धनी व्यक्ति है।

(c) निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।

(i) बादल – मेघ, अंबुद

(ii) जीभ – जिह्वा, रसिका

(iii) अमृत – सुधा, अमिय

(iv) सूर्य – भास्कर, सूरज

(v) परिवार – कुटुंब, अचल

(d) निम्नलिखित युग्मों का इस तरह वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट हो जाए

(i) नीरज – नीरद

वाक्य प्रयोगः नीरज (कमल) के खिलने के लिए जलाशय में जल की आवश्यक मात्रा नीरद (बादल) की वर्षा से प्राप्त होती है।

(ii) अवलंब – अविलंब

वाक्य प्रयोगः अवलंब (सहारा) को आपात स्थिति में मनुष्य की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है ताकि दुष्कर परिस्थितियों में हमें अविलंब (शीघ्र) सहायता मिल सके।

(iii) अन्न – अन्य

वाक्य प्रयोगः अनाज (अन्न) मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में से एक है, इसके समान कोई अन्य (अतिरिक्त) चीज महत्त्वपूर्ण नहीं है।

(iv) अनल – अनिल

वाक्य प्रयोगः अनल (आग) का प्रचार कम करने के लिए अनिल (पवन) सदैव सहायक नहीं होता है।

(v) उपयुक्त – उपर्युक्त

वाक्य प्रयोगः उपयुक्त (उपयोगी) शब्द का चयन उपर्युक्त (ऊपर दिए गए में से) शब्दों में से कीजिए।

यू.पी.एस.सी. सी.एस. 2019 (मुख्य परीक्षा)
हिन्दी अनिवार्य हल प्रश्न पत्र

Time allowed : Three hours *Maximum Marks : 300*

प्रश्न-पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश:

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

- सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है।
- प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं।
- उत्तर हिन्दी में ही लिखे जाएँगे, यदि किसी प्रश्न-विशेष में अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
- जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द-संख्या निर्धारित है, वहाँ इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर, निर्धारित शब्द-संख्या की तुलना में काफी लंबा या छोटा है तो अंकों की कटौती की जा सकती है।
- प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग, जो खाली छोड़ा गया हो, उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए।

Q1. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबन्ध लिखिए: **(1 × 100)**

(a) सर्जनात्मकता का पोषण करने वाली शिक्षा की आवश्यकता

(b) भारत में वन्य जीवन संरक्षण की चुनौतियाँ

(c) किशोर मानस पर फ़िल्मों का प्रभाव

(d) दिव्यांगों का सशक्तिकरण

Ans. (a) सर्जनात्मकता का पोषण करने वाली शिक्षा की आवश्यकता

"जन्म देने वालों से अधिक सम्मान अच्छी शिक्षा
देने वालों को दिया जाना चाहिए।"

प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु शिक्षा के मूल्य को रेखांकित करते हुए, उक्त कथन को उद्धृत करते हैं। अरस्तु के अनुसार, किसी को जन्म देने से अधिक महत्वपूर्ण उसे यह सिखाना है कि जीना कैसे है। वर्तमान तकनीक संपन्न विश्व में सब कुछ जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, अधिक महत्त्वपूर्ण अर्जित ज्ञान से सर्जनात्मक क्षमता का विकास करना है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश प्रगतिशील राष्ट्र शिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोगात्मक कौशल को अधिक महत्त्व देते हैं।

सर्जनात्मक शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करना है, जिसमें विद्यार्थी परंपरागत ज्ञान से आगे बढ़कर नवीन एवं संवर्द्धित ज्ञान तथा असके

अनुप्रयोग की ओर उन्मुख हों। ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित करती है। इसमें विद्यार्थियों को समाज एवं विज्ञान के संबंध में अपनी समझ विकसित करने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाता है और उनके कार्यकलापों पर किसी प्रकार का रूढ़िजन्य अंकुश नहीं लगाया जाता है।

मनुष्य जैसे-जैसे जटिल जीवनचर्या का अनुसरण करता जा रहा है, वैसे-वैसे उसे अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समुचित समाधान करने के लिए नवोन्मेषी मस्तिष्क की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा में सर्जनात्मकता का समावेश मानव मन को आरंभ से ही रचनात्मक एवं समाधानोन्मुख दृष्टि प्रदान करेगा। यह मानव के अस्तित्व को बचाए रखने तथा भावी आपदाओं से निपटने में सहायक होगा। यही नहीं सर्जनात्मक क्षमता मनुष्य की जिज्ञासाओं को शान्त करने तथा उन रहस्यों से परदा हटाने में भी सक्षम है, जिससे मनुष्य अभी तक अनभिज्ञ है।

शिक्षा पद्धति में सर्जनशीलता विकसित करने की अनेक विधियों का विकास किया गया है। इसके अंतर्गत विचारशीलता, अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, सामूहिक परिचर्चा, भावनात्मक लब्धि एवं तनावमुक्तता पर बल दिया जाता है। इसका प्रायोगिक रूप हम परीक्षाविहीन कक्षा कार्यक्रम, संगीत सुनना, ज्ञानप्रद यात्राओं, अन्तर्विद्यालय संगोष्ठी के आयोजन तथा प्रयोगशालाओं के बढ़ते महत्व के रूप में देख सकते हैं। स्केण्डेनेवियाई देशों में इस प्रकार की नवाचारी शिक्षा पद्धति को विशेष रूप से अपनाया गया है।

भारत जैसे देश में जहाँ युवाओं की आबादी अधिक है तथा देश की बड़ी आबादी अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर है, वहाँ सर्जनात्मकता को शिक्षा में शामिल करना अत्यावश्यक है। यह दु:खद है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था में सर्जनशीलता तथा नवोन्मेष का अभाव दिखायी पड़ता है। निम्न गुणवत्तायुक्त शिक्षा विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में, विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर नहीं देती है। हालांकि सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने हेतु कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं।

भारत सरकार की 'अटल नवाचार मिशन', 'स्मार्ट इण्डिया हैकथॉन', 'जिज्ञासा योजना' तथा इसरो की 'संवाद विद स्टूडेंट्स' इत्यादि योजनाएँ विद्यार्थियों में नवाचार तथा सर्जनशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गयी हैं। इसके अतिरिक्त डॉ. के. कस्तूरीरंगन का नवीन प्रारूप भी सर्जनशीलता तथा प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। 'डिजिटल बोर्ड' जैसी योजनाएँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु 'मील का पत्थर' साबित हो सकती हैं।

भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण है जबकि भारत का कृषि क्षेत्र तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने (वर्ष 2022 तक कृषक आय को दुगुना करना) के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सर्जनात्मक क्षमता

का प्रयोग आवश्यक है। इसी प्रकार 'स्टार्ट अप इण्डिया' तथा 'मेक इन इण्डिया' जैसी योजनाओं की सफलता भी सर्जनशीलता पर ही निर्भर है। आज भारतीय मूल के लोग विश्वभर में अपने कौशल के बल पर शीर्ष पदों पर आसीन हैं। ऐसे में यदि देश में सर्जनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए तो भारत अपनी युवा आबादी की कौशल क्षमता से लाभान्वित हो सकता है।

"कोई भी राष्ट्र बिना शिक्षित नागरिकों के विकसित नहीं हो सकता है।"

दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध समाजसेवक तथा पूर्व-राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला के अनुसार, किसी राष्ट्र का विकास उस देश के नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करता है। ध्यातव्य है कि विश्व के वे देश जिनकी साक्षरता दर अधिक है उनके विकास का स्तर भी उच्च है। वर्तमान में भारत एक महत्वाकांक्षी विकासशील राष्ट्र है। नवोन्मेषी एवं सर्जनशील शिक्षा पद्धति को लागू करके भारत अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति कर सकता है। भारत को अपनी जननांकिकीय लाभांश की स्थिति का लाभ उठाने के लिए भी सर्जनशील शिक्षा पद्धति को लागू करने की आवश्यकता है। अंततः इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि सर्जनात्मकता का पोषण करना शिक्षा का एक अद्वितीय गुण है।

(b) भारत में वन्यजीवन संरक्षण की चुनौतियाँ

मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मानवजनित कारणों से प्राकृतिक पर्यावासों में हुए बदलाव के कारण 10 लाख से भी अधिक वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियाँ संकट का सामना कर रही हैं। इसी प्रकार लगभग 900 जीवों की प्रजातियाँ वनों में विलुप्ति का सामना कर रही हैं। ये आँकड़े वन्यजीव संरक्षण के हमारे प्रयासों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हैं। यह कहना गलत न होगा कि मनुष्य ने अपने संकुचित लाभ के लिए शेष जीवों के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। नवीन शोध यह दर्शाते हैं कि वन्यजीवों का संरक्षण स्वयं मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है।

अनेक जीव विविध प्रकार से मानव जीवन के लिए लाभप्रद होते हैं। व्हेल मछली अपने विशालकाय शरीर में वसा तथा प्रोटीन के रूप में कई टन कार्बन को संचित रखती है, यह वायुमण्डल में विविध गैसों के संतुलन में सहायक होता है। इसी प्रकार बाघ एवं तेंदूए जैसे वन्य जीव अतिचारण करने वाले जीवों की संख्या को नियंत्रित करके वानस्पतिक संपदा का संरक्षण करते हैं। अनेक सूचक प्रजातियाँ हमें प्रकृति को बेहतर रूप में समझने में सक्षम बनाती हैं, जैसे - गिला वुडपिकर, इजिप्टियन प्लॉवर, पायलट फिश, ऑरेंज क्लॉनफिश, अफ्रीकन ऑक्सपिकर्स, क्लीनर फिश इत्यादि। वन्य जीवों के अनेक लाभों के बावजूद हम वन्य जीवों के संरक्षण में अक्षम रहे हैं।

वन्यजीवों के संरक्षण के मार्ग में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण वन्यजीवन संकट का सामना कर रहा है। विश्व की वन्यजीव संपदा का एक बड़ा भाग अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के आर्थिक रूप से अक्षम राष्ट्रों के पास है

अत: वे राष्ट्र इनकी संरक्षण लागत को वहन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वन्य जीवों की हानि होती है। हाल ही में सूडान के एक चिड़ियाघर से आई तस्वीरों ने लोगों की झकझोर दिया जिसमें आहार की कमी के कारण शेर गम्भीर रूप से अस्वस्थ दिख रहे थे।

विश्व की बढ़ती आबादी, विशेषत: भारत जैसे देशों में तथा भूमि की सीमाओं ने वन्यजीवों के पर्यावासों को संकुचित किया है। इससे न सिर्फ वन्यजीवों के मध्य अपितु मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़े हैं। यह स्थिति वन्यजीवों के समुचित विकास में एक बड़ी समस्या है। वन्यजीव रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश करके मानव जीवन को भी खतरे में डालते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति विगत् वर्षों में बढ़ती प्रतीत हो रही है। हाल के दिनों में अमेजन घाटी क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया में लगी वनाग्नि के कारण बड़े पैमाने पर वन्य जीवों की हानि हुई है। एक अनुमान के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया की वनाग्नि में 1 बिलियन से अधिक वन्यजीवों की क्षति हुई। इसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूनामी, भूकम्प, ज्वालामुखी क्रिया, बाढ़-सूखा इत्यादि वन्यजीवों की हानि का कारण बनते हैं।

ग्लोबल वॉर्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों ने मानव ही नहीं, वन्यजीवों का जीवन भी कठिन बना दिया है। वैश्विक तापमान के बढ़ने से ध्रुवीय एवं शीत प्रदेशों में रहने वाले ध्रुवीय भालू, पेंग्वीन इत्यादि जीवों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर उठने के कारण भी वन्यजीवों का पर्यावास भी उष्मन के कारण दुष्कर होता जा रहा है। इसका सर्वप्रमुख उद्धरण कोरल रीफ को होने वाली गम्भीर क्षति है।

वन्यजीवों के संरक्षण में एक अन्य समस्या इनका अवैध शिकार किया जाना भी है। विभिन्न औषधीय गुणों (गैंडे की सींग, सैंड बोआ सर्प), सजावट के लिए (जीवों की खाल तथा हाथी दांत) इत्यादि कारणों से वन्यजीवों का अवैध शिकार किया किया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़े स्तर पर वन्य जीवों की सीमापारीय तस्करी भी इनके संरक्षण में एक बड़ी बाधा है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी वन्यजीवों के संरक्षण को बाधित करने वाले हैं; जैसे- बीमारियाँ (गिर क्षेत्र में शेर), हाई वोल्टेज तारों का संजाल (ग्रेट इण्डियन बस्टर्न), जल संपदा की रक्षा (ऑस्ट्रेलिया में 10 हजार ऊँटों को मारने का फैसला, मवेशियों की सुरक्षा (उत्तराखण्ड में तेंदुए को मारा जाना), धार्मिक उद्देश्य से (दीपावली के पर्व पर भारतीय उल्लू को मारा जाना) इत्यादि। इस प्रकार हम पाते हैं कि विविध कारणों से वन्यजीवों का समुचित संरक्षण दुष्प्रभावित होता है, हालांकि विश्व समुदाय ने वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए इस संदर्भ में प्रयास भी किये हैं। ये प्रयास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर देखने को मिले हैं।

आई.यू.सी.एन. द्वारा वर्ष 1964 से ही जीवों की संख्या के आधार पर उनकी सुभेद्द स्थिति की पहचान की जा रही है। इस संस्था द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण हेतु उपाय भी सुझाए जाते हैं। सी.आई.टी.ई.एस. नामक संस्था सुभेद्य जीव-जंतुओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किये जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेन्ट तथा सिक्योर हिमालय जैसी अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। विश्वभर में फैले वन्यजीव तस्करों के नेटवर्क को सभी राष्ट्र एकजुट होकर ही नष्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में हॉब्रा बस्टर्ड जैसे संवेदनशील पक्षी प्रजाति के शिकार की अनुमति दिया जाना वन्यजीवों के प्रति हमारी अनिच्छा को ही दर्शाता है। ऐसे कदमों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना चाहिए। मिथकीय चिकित्सा पद्धतियों तथा रूढ़िवादी अनुष्ठानों के कारण होने वाली वन्यजीव हानि को रोकने के लिए जन-जागृति फैलाने की आवश्यकता है। अंत में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम तथाकथित विकास के नाम पर वन्यजीवों के आवास का अतिक्रमण न करें। मानव जाति को अपनी श्रेष्ठता का दंभ छोड़ कर असहाय जीवों का सह अस्तित्व सुनिश्चित करना चाहिए। यह हमारा कर्त्तव्य और नैतिक दायित्व भी है।

(c) किशोर मानस पर फिल्मों का प्रभाव

कहा जाता है कि सीखने की कोई आयु नहीं होती है तथापि सीखने के दृष्टिकोण से विभिन्न आयु वर्गों को प्रभाविकता के आधार पर अवश्य विभाजित किया जा सकता है। इस संदर्भ में किशोर मन:स्थिति अग्रणी है। किशोरावस्था जिज्ञासाओं तथा स्वीकार्यता से संतृप्त अवस्था मानी जाती है। फिर फिल्मों की अपनी रुचिकर प्रस्तुति, स्मृति में स्थायित्व के कारण युवाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर फिल्में समाज के लिए उत्प्रेरक भी हैं। किशोर स्वयं को फिल्मी पात्रों से शीघ्रता से जोड़ लेते हैं। इस प्रकार किशोर मानस पटल पर फिल्मों की छाप गहरे रंग में पड़ जाती है।

फिल्मों को मनोरंजन, सीखने, जनजागरुकता एवं प्रचार-प्रसार का एक सशक्त साधन माना जाता है। संक्षेप में हम फिल्मों को संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में निरूपित कर सकते हैं। फिल्में किशोर मन को अनेक प्रकार से प्रभावित करती हैं। यह प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। फिल्मों का सकारात्मक प्रभाव किशोरों को नयी दिशा तथा समाज के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। जबकि नकारात्मक प्रभाव किशोरों को पथभ्रमित करने के साथ-साथ व्यसन की ओर भी मोड़ सकता है। हमें किशोरों द्वारा फिल्मी पात्रों के अनुकरण का प्रयास प्राय: देखने को मिलता है जो फिल्मों के उल्लेखनीय प्रभाव को दर्शाता है।

भारतीय फिल्म उद्योग, विशेषत: हिन्दी भाषा की फिल्मों में अनेक ऐसी फिल्में आयीं जिसने समाज और युवाओं को सकारात्मक सोच के प्रति आकर्षित किया। उदाहरण के लिए 'दंगल' जैसी फिल्मों ने समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रसार किया। 'मांझी - द माउण्टेन मैन' ने समाज में दृढ़ इच्छाशक्ति तथा लगनशीलता के महत्व को रेखांकित किया। 'आनंद' जैसी फिल्में युवकों को जीवन के सत्य को स्वीकार करने तथा जीवन के प्रति आशावान रहने का संदेश देती हैं। फिल्मों के उक्त सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ सह-उत्पाद के रूप में कुछ नकारात्मकताएँ भी उत्पन्न होती हैं।

अनेक बार ऐसा देखा गया है कि कुछ अप्रिय प्रोत्साहनों अथवा घटनाओं के पीछे फिल्मों ने प्रोत्साहक की भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए कुछ लोग फिल्मों में मद्यमान तथा सिगरेट के सेवन को स्टेटस सिम्बल (प्रतिष्ठा का प्रतीक) मान कर उसका अनुसरण करने लगते हैं। फिल्मों में अनेक बार प्रतिशोध लेने जैसे प्रकरण में गैर-विधिक तरीकों को अपनाया जाता है। यह भी समाज को गलत संदेश देने वाला है। फिल्मों में कई बार स्त्रियों का चित्रण वस्तुवादी दृष्टिकोण के साथ किया जाता है; यह समाज में महिलाओं की गरिमा कम करने वाला प्रतीत होता है। कुछ आपराधिक गतिविधियों में भी ऐसा देखा गया कि अपराधी किसी-न-किसी रूप में फिल्मों से प्रेरित थे।

उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि फिल्में किशोरों पर अनेकानेक प्रभाव डालती हैं। अत: यह आवश्यक है कि सभी हितधारक इस संबंध में अपना उत्तरदायित्व ग्रहण करें तथा उसके अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन भी करें। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व फिल्म निर्माताओं का प्रतीत होता है। निर्माताओं को फिल्म निर्माण के समय अपने कार्पोरेट हितों के साथ-साथ इसके सामाजिक प्रभावों (विशेषत: युवाओं के संदर्भ में) पर भी विचार करना चाहिए। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फिल्मों का मूल संदेश समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला होना चाहिए।

फिल्म निमार्ताओं के बाद किशोरों पर फिल्मों के प्रभावों से संबंधित दूसरा महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व किशोरों के संरक्षकों का उत्पन्न होता है। संरक्षकों का दायित्व है कि वे किशारों को अच्छे-बुरे, सही-गलत का अन्तर समझाएँ तथा संरक्षक की यह भी जिम्मेदारी है कि किशोरों को भ्रामक एवं अनुचित प्रेरणा देने वाली फिल्मों से दूर रखें अथवा उनका उचित मार्गदर्शन करें।

संरक्षकों के अतिरिक्त समाज का भी यह दायित्व है कि ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन न मिले जो किशोरों को अनुचित एवं गैर-विधिक कार्यों के लिए उत्साहित कर सकती हैं। समाज को अपनी भावी पीढ़ी के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए लैंगिक समानता, विधि एवं कानून के महत्व, सहिष्णुता तथा नैतिक मूल्यों के समावेशन हेतु फिल्मों को प्रेरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के सभी अंग अपने-अपने रूप में यह उत्तरदायित्व ग्रहण करें।

किशोर मन नवीन विचारों, क्रिया-कलापों को ग्रहण करने तथा अनुप्रयोगों में लाने के लिए सर्वथा उर्वर होता है। अत: रचनात्मक अथवा विध्वंसात्मक किसी भी प्रकार के विचारों के प्रति यह वर्ग सुभेद्य होता है। यदि समाज इस ऊर्जा संपन्न वर्ग को सही मार्गदर्शन प्रदान करता है तो यह देश के निर्माण में अत्यधिक ग्रहणशील होने के कारण ये युवाओं के मार्गदर्शन के महत्त्वपूर्ण उपकरण बन सकते हैं।

(d) "दिव्यांगों का सशक्तिकरण"

देश और समाज के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए विकास का समावेशी होना आवश्यक है। समावेशन का आशय समाज के सभी वर्गों यथा वृद्धों, महिलाओं, नि:शक्त जनों सभी का विकास सुनिश्चित करना है। इस क्रम में दिव्यांगों को शमिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस वर्ग को पर्याप्त साधन एवं उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाए तो इसकी ऊर्जा का प्रयोग राष्ट्र के निर्माण में तथा अनेक रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसका परिणाम विविध क्षेत्रों में दिव्यांगजनों द्वारा अर्जित उपलब्धियों के रूप में देखा जा सकता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, जिसे 2016 में अद्यतन किया गया, भारत में दिव्यांगजनों की जनसंख्या 2.68 करोड़ तक आँकी गयी है; यह देश की कुल आबादी का 2.21% है। विषमतामूलक सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से होने के कारण ये अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। दिव्यांगजनों के लिए अवसरों की अपर्याप्तता इनमें निर्भरता मनोविकार को बढ़ावा देती है। ऐसी स्थिति में यह वर्ग उन विकृत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर होता है, जिसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। साथ-ही-साथ हम देश की एक बड़ी आबादी के अर्थव्यवस्था में समुचित योगदान से भी वंचित रह जाते हैं। अत: दिव्यांगों के सबलीकरण का प्रश्न उपस्थित होता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2007 में 'यू.एन. कन्वेंशन ऑन डिस्एबिलिटी राइट्स' पारित करके सभी राष्ट्रों से नि:शक्तजनों के हितों को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को दिव्यांगों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। भारत ने राइट टू पर्सन विद डिस्एबिलिटी एक्ट, 1995 को वर्ष 2017 में संशोधित करके दिव्यांगों के सशक्तिकरण के प्रयासों के लिए इस कानून को और भी मजबूत किया है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में दिव्यांगता की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक नियोजन तथा शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की सीमा 3% से बढ़ाकर क्रमश: 4% और 5% कर दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यालयों एवं सेवा केन्द्रों यथा अस्पताल, डाकघर, रेलवे एवं एयरपोर्ट आदि को दिव्यांगों के उपयोग हेतु सुरक्षित बनाने का प्रयास किया है। भारत में 'नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिस्एबिलिटी, चेन्नई जैसी संस्थाएँ दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण बनाने में संलग्न हैं। इसी प्रकार इण्डियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर दिव्यांगों के लिए संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। दीनदयाल डिस्एबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम भी दिव्यांगों के सहायतार्थ प्रारंभ की गयी है। देश भर में विभिन्न एन.जी.ओ. भी दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए अलग-अलग तरह से योगदान दे रहे हैं।

दिव्यांगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम दिव्यांग शब्द का प्रयोग करके संवेदनशील एवं दूरदर्शितापूर्ण पहल की। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति मानवीय संवेदना का प्रदर्शन करना था। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यदि अवसर दिया जाए तो दिव्यांग व्यक्ति भी समाज एवं राष्ट्र को अपने कार्यों से लाभान्वित कर सकता है। यू.पी.एस.सी. वर्ष 2015 बैच की टॉपर इरा सिंघल की सफलता ने इसे रेखांकित किया कि दिव्यांगता किसी भी स्थिति में व्यक्ति की अयोग्यता को प्रदर्शित नहीं करती है। इसी प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर वह कार्य कर दिखाया जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी दुष्कर समझा जाता है।

सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी स्टिफन हॉकिंस को कौन भूल सकता है जिन्होंने अपनी जन्मजात दिव्यांगता के बावजूद अपने प्रेक्षणों से सम्पूर्ण विश्व समुदाय को लाभान्वित किया। इतिहास ऐसे ही कई व्यक्तित्वों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता की स्थिति के बावजूद अपने कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अत: यदि समाज तथा सरकार दिव्यांगों के सबलीकरण में सक्रिय योगदान दे तो इनकी क्षमताओं का लाभ लिया जा सकता है। भारत में अभी भी दिव्यांगों के प्रति लोगों का व्यवहार संवेदनहीन बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें लोगों के उपहास तक का सामना करना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में भी दिव्यांग किंचित अपर्याप्तताओं के कारण अपना सम्पूर्ण कौशल नहीं दिखा पाते हैं।

भारतीय समाज में व्याप्त इस संकुचित मानसिकता को जनजागरण तथा नैतिक मूल्यों के समावेशन के साथ ही दूर किया जा सकता है। जब लोग दिव्यांगों के प्रति सहकारितापूर्ण व्यवहार करेंगे तब वे भी आत्मविश्वास के साथ अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करेंगे। सबसे बढ़कर दिव्यांगों के प्रति उचित व्यवहार हमारा और हमारे समाज का नैतिक दायित्व भी है।

Q2. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए: (12×5 = 60)

कुछ हज़ार वर्षों पूर्व तक मनुष्य पृथ्वी पर शिकारी मात्र था। नवपाषाण युग तक उसने कृषि के लिए बसना आरंभ नहीं किया था। दूरदराज के इलाकों में घूमे बिना वह ज़मीन की जुताई करके भोजन की आपूर्ति बढ़ाने में सक्षम हुआ और लगातार कृषि को उन्नत करने में लगा रहा। आज तक वह पहले की तुलना में अधिक और बेहतर भू-उपज लेने में सक्षम रहा है। लेकिन जहाँ तक समुद्रों का संबंध है, वह अब तक लगभग शिकारी ही है। वह मछलियों और दूसरे जल-जीवों को पकड़ता है, किंतु उनकी सतत वृद्धि और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सीमित प्रयत्न ही कर रहा है। अब तक जलीय शिकार से उसे अत्यधिक पौष्टिक प्रोटीन की काफी आपूर्ति हुई है। यह भू-कृषि से प्राप्त प्रोटीन की आपूर्ति का पूरक है। लेकिन दुनिया की बढ़ती आबादी के कारण मनुष्य को शीघ्र ही समुद्र से इतने ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है कि उसकी यह भारी और सतत आपूर्ति भी ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए मनुष्य को समुद्री खेती के माध्यम से पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए क़दम उठाने होंगे।

लघु स्तर पर मछली-पालन तालाबों और झीलों में पहले ही सफलतापूर्वक किया जा चुका है। विशेष रूप से जल-विद्युत् परियोजनाओं के लिए बाँधों के निर्माण द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलों में यह कार्य किया गया है। मीठे पानी के तालाबों में मछली की उपज से प्रोटीन की आपूर्ति में पहले से वृद्धि हुई है। उनमें से कुछ का विकास ग्रामीण समुदायों में कृषि-अधिकारियों की मदद और पर्यवेक्षण से हो रहा है।

एक बार मछली-तालाबों को युवा मछलियों से समृद्ध कर देने पर मछलियों का स्वस्थ वातावरण में विकास संभव होता है और उनके भोजन की पर्याप्त आपूर्ति भी हो जाती है। पानी में बड़ी संख्या में तैरते हुए प्लवक– सूक्ष्मजीव एवं वनस्पति– जलीय प्राणियों के लिए मुख्य खाद्य हैं। छोटी मछलियाँ इन्हें खाती हैं और अपने से बड़ी मछलियों का भोजन बनती हैं। चूँकि प्लवक पानी में मौजूद खनिजों से वृद्धि पाते हैं, इसलिए प्लवक की मात्रा को पानी में अतिरिक्त उर्वरकों द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

हालाँकि समुद्री खेती व्यावहारिक और लाभदायक दोनों हो सकती है, लेकिन इससे पहले कई समस्याएँ हल करनी होंगी। उदाहरण के लिए समुद्र के उस भाग में उर्वरक डालना उपयोगी नहीं है, जहाँ समुद्र की धाराएँ तेज गति से उर्वरकों को मीलों दूर अनुत्पादक पानी में ले जाती हैं। अगर मछली-पालक उर्वरकों को एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित कर सके, तब भी उसे 'अपने क्षेत्र' तक उर्वरक-पोषित मछलियों को रखने का तरीका खोजना होगा। और अपने व्यय का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मछलियों को भोजन देने का ऐसा तरीका ढूँढ़ना होगा, जिससे वह भोजन उन्हीं मछलियों को मिले जिन्हें वह खिलाना चाहता है। उसे अखाद्य जल-जीवों को हटाने (निराई) की युक्ति लगानी होगी, जिससे वे उसकी मछलियों का भोजन साझा न करें।

स्पष्ट रूप से इन समस्याओं को हल करना बहुत आसान नहीं होगा– ख़ासकर समुद्र की विशालता का देखते हुए, जो पृथ्वी की सतह के लगभग तीन-चौथाई को घेरे हुए है। समुद्रों को पानी तालाबों और झीलों की तुलना में धाराओं में निरंतर गतिशील रहता है। शायद समस्याओं को धीरे-धीरे हल किया जाएगा। निकट भविष्य में मनुष्य महाद्वीपों के पास उथले अप-तटीय पानी में छोटे पैमाने पर मछली-पालन शुरू कर सकता है। वहाँ वह ऐसी मछलियों का संग्रहण कर सकता है जिनका वह उत्पादन करना चाहता है, अपनी मछलियों के भोजन को खा जाने वाले अवांछनीय जल-जीवों को हटा सकता है, आवश्यकता के अनुसार उस क्षेत्र में उर्वरक डाल सकता है और अंततः समय-समय पर परिपक्व मछलियों की फसल को इकट्ठा कर सकता है।

(a) शिकार की तुलना में कृषि किस प्रकार बेहतर है तथा भविष्य में समुद्री-खेती क्यों आवश्यक होगी? **(12)**

(b) मछली-पालन में उर्वरकों की क्या भूमिका है? **(12)**

(c) समुद्र के किस भाग में मछली-पालन आरंभ किया जा सकता है? **(12)**

(d) 'निराई' शब्द से आप क्या समझते हैं? **(12)**

(e) भविष्य में समुद्री खेती की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है **(12)**

Ans. (a) मनुष्य आदि काल में भोजन के लिए शिकार पर आश्रित होने के कारण दूर-दराज के इलाकों में घूमा करता था, किन्तु कृषि के विकास के बाद इस समस्या का विकल्प उत्पन्न हो सका। अब वह एक ही स्थान पर फसलें उगा पाने में सक्षम हुआ; इससे उसे बेहतर जीवनचर्या, स्थायी निवास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर्क्रिया का अवसर प्राप्त हुआ। भविष्य में बढ़ती खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि शेष नहीं रह जाएगी जिससे समुद्री खेती की आवश्यकता होगी। समुद्री-खेती इसलिए भी आवश्यक है ताकि समुद्री खाद्य संसाधनों का संपोषणीय दोहन किया जा सके।

(b) मछलियाँ प्लवकों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं जबकि प्लवक जल में घुले पोषक तत्वों से वृद्धि करते हैं। अतः समुद्री खेती के लिए समुद्र में प्लवकों (मछलियों के लिए खाद्य पदार्थों) की मात्रा को बढ़ाने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती है। हालाँकि समुद्र की विशालता को देखते हुए समुद्र में उर्वरकों का दक्षतापूर्ण प्रयोग करना दुष्कर प्रतीत होता है।

(c) समुद्री खेती लाभदायक होने के साथ-साथ जटिल भी है। मछली पालन के लिए अपेक्षाकृत शांत जलीय क्षेत्र का चुनाव किया जाना चाहिए ताकि उर्वरकों को एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया जा सके। इससे उत्पादित खाद्य पदार्थों का वांछनीय प्रयोग किया जा सकता है। इससे पदार्थों का वांछनीय प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए मत्स्यगहन समुद्री क्षेत्रों का चयन किया जाना चाहिए।

(d) दिये गए गद्यांश में निराई का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से अवांछनीय जलीय जीवों को पृथक किया जा सके। इसका उद्देश्य प्रयुक्त उर्वरक का लाभ उन जीवों को देना होता है, जिसका उत्पादन किया जाना है।

(e) समुद्री खेती की जटिलता को देखते हुए भविष्य में इससे जुड़ी अनेक समस्याओं का समाधान किया जाना शेष है। इनका समाधान करने के लिए मत्स्य क्षेत्रों को चिह्नित करना, उर्वरकों को सीमित क्षेत्र तक विस्तृत होने देना तथा उर्वरक पोषित मछलियों को संकेन्द्रित करने जैसे तरीके खोजे जा सकते हैं।

Q3. निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेपण एक-तिहाई शब्दों में लिखिए। इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेपण अपने शब्दों में ही लिखिए:

(1×60 = 60)

भारत की विशाल आबादी ग्रामीण है। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, जिससे समान और समावेशी विकास के दीर्घपोषित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का एक महत्त्वपूर्ण घटक पेयजल व्यवस्था है। पानी निस्संदेह एक महत्त्वपूर्ण लोकहित है। नगरिकों की माँगों को पूरा करने के लिए, पानी के बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की आवश्यकता है। एक जल-सुरक्षित राष्ट्र न केवल अपने नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएगा, बल्कि एक स्वस्थ और आर्थिक रूप से उत्पादक समाज को भी सुनिश्चित करेगा। हालाँकि, भारत की विशाल ग्रामीण आबादी की पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करना एक कठिन कार्य है, जिसका मुख्य कारण स्थापित पेयजल आपूर्ति की क्षमता में कमी, सामाजिक-आर्थिक विकास का निम्न स्तर, शिक्षा और पानी के उपयोग और उपभोग के बारे में जागरूकता में कमी का होना है।

संविधान का अनुच्छेद 47 राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का आदेश देता है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था बीमारियों और घातक घटनाओं में कमी लाती है और जीवन-स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। देश की करोड़ों की आबादी के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का प्रावधान महत्त्वपूर्ण है।

सतत् विकास पानी की उपलब्धता और स्वच्छता का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। सुरक्षित पेयजल तक पहुँच के मामले में इससे एक तरह से यही तात्पर्य है कि 'कोई भी पीछे न छूट जाए' जो कि इस वर्ष 'विश्व जल दिवस' का थीम भी था। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है।

सरकार ग्रामीण जनों हेतु सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस क्षेत्र में सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम भी उठाए जाते रहे हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन

के लिए अनुदान दिए जाने से लेकर क्रियान्वयन एवं रखरखाव पहलुओं और भू-जल पुनर्भरण हेतु भी कदम उठाए गए हैं। कुछ अन्य कदमों में वर्षा जल संचयन भी शामिल है जो कि बेहद महत्त्वपूर्ण पहलू है और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रूप से सुरक्षित पेयजल आपूर्ति में मददगार हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन ढाँचे के निर्माण हेतु सरकारें मास्टर प्लान पर कार्य कर रही हैं। भारत में ऐसी सफलता की कहानियों की भरमार है जो कि जल संचयन के हमारे प्राचीन परंपरागत ज्ञान और विवेक की तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं। 2001 में तमिलनाडु सरकार ने हर परिवार के लिए वर्षा जल संरक्षण की आधारभूत संरचना रखना अनिवार्य कर दिया। बैंगलोर और पुणे जैसे नगरों में भी इसके जैसा प्रयोग किया गया है, जहाँ आवास-समितियों द्वारा वर्षा जल संरक्षण अपेक्षित है। दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार की अनेक पहलें हुई हैं।

भू-जल का अति दोहन भारत में एक मुख्य समस्या है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियामक तंत्र की आवश्यकता है। गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक कुँओं की खुदाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी की ज़रूरत है। फिलहाल पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति न्यून है। ग्रामीण समुदायों, ग़ैर-सरकारी संगठनों तथा सरकार की सुविधा दाता और सह-वित्तपोषक के रूप में भागीदारी सफल रही है। हमें याद रखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता और पहुँच का दायरा बढ़ाने के लिए, हमें ग्रामीण समुदायों के सक्रिय सहयोग से पानी के न्यायसंगत संरक्षण और उपयोग हेतु हर प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है।

समुदाय की भागीदारी, संचालन और रखरखाव की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाती है। यह अंतर्निहित सामुदायिकता के कारण बेहतर रखरखाव और तैयार की गई प्रणाली के जीवन काल को भी बढ़ाती है। पीने के पानी के स्रोतों के पास न केवल स्वच्छता बनाए रखने में समुदाय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि उन तरीकों और साधनों को भी सुधारना है, जिनके द्वारा संग्रह, भंडारण और उपयोग करते समय प्रदूषण से बचने के लिए पानी एकत्र किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाएँ, स्वयं-सहायता समूह और सहकारी समितियों के माध्यम से समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, ताकि 2030 तक 'हर घर जल' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और दीर्घकालिक टिकाऊ समाधान को साकार किया जा सके। (752 शब्द)

Ans. भारत की व्यापक ग्रामीण जनसंख्या के लिए शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सर्वांगीण विकास का अनिवार्य घटक है। इसके लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। हालांकि भारत की बड़ी जनसंख्या तथा गाँवों के पिछड़े अवसंरचनात्मक एवं सामाजिक-आर्थिक ढांचे को देखते हुए यह कार्य सरल प्रतीत नहीं

होता। बीमारियों से बचाव तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल के महत्व को देखते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य के दायित्व के रूप में शमिल किया गया है। यह लोगों के विकास एवं समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

सतत् विकास का एक घटक स्वच्छ एवं निरंतर पेयजल की उपलब्धता है। इस वर्ष विश्व जल दिवस (22 मार्च) की थीम : 'कोई भी पीछे न छूट जाए' भी इसी से संबंधित थी। भारत में भूजल प्रबंधन एवं जल संरक्षण से जुड़ी प्राचीन पद्धतियाँ महत्त्वपूर्ण होती जा रही हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भू-जलपुनर्भरण, वर्षा जल संचयन तथा जल आपूर्ति हेतु धन के आवंटन जैसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में तमिलनाडु सरकार (2001) ने, बैंगलोर तथा पुणे जैसे नगरों ने वर्षा जल (पुनर्भरण अवसंरचना के आवासों में निर्माण किये जाने जैसी पहल की है।

भारत में भू-जल का अतिदोहन एक बड़ी समस्या है। अत: इसे नियंत्रित करने के लिए नियामकीय प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में पंचायतीय संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसी के साथ नागरिक स्तर पर भी जल संरक्षण, न्यायपूर्ण वितरण तथा जल स्रोतों के रखरखाव का प्रयास करना चाहिए जिससे 2030 तक 'हर घर जल' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

Q4. निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए: (1×20 = 20)

जब कोई व्यक्ति अपने को देखता है तो वह अपने बारे में ग़लत अनुमान लगा लेता है। वह अपने उद्देश्यों को ही देखता है। ज़्यादातर लोग अच्छे उद्देश्य लेकर चलते हैं और मान लेते हैं कि वे जो भी काम कर रहे हैं, उसका अच्छा ही परिणाम होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने कार्यों का तटस्थ मूल्यांकन कठिन है, जिससे हो सकता है और प्राय: होता भी है कि उसके अच्छे उद्देश्यों में विरोधाभास पैदा हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग काम करने के इरादे से आते हैं और अपना काम उस ढंग से करते हैं जो उन्हें सुविधाजनक लगता है; और शाम को संतुष्टि की भावना लिए घर चले जाते हैं। वे अपने काम का मूल्यांकन नहीं करते। वे अपने इरादों का ही मूल्यांकन करते हैं। ऐसा माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को समय के भीतर खत्म करने का इरादा रखता है और अगर इसमें विलंब होता है तो यह उसके नियंत्रण के बाहर की बात होती है। काम में देरी करने का उसका कोई इरादा नहीं होता है। लेकिन अगर उसके काम का तरीका या आलस्य देरी का कारण बनता है, तो क्या यह इरादतन नहीं होता?

समस्या यह है कि हम प्राय: जीवन के साथ जूझने के बजाय इसका विश्लेषण करने लगते हैं। लोग अपनी असफलताओं से कुछ सीखने के बजाय या उनका अनुभव लेने के बजाय, उनके कारणों एवं प्रभाव की चीरफाड़ करने लगते हैं। कठिनाइयों एवं संकटों के माध्यम से ईश्वर हमें बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए जब आपकी उम्मीदें,

सपने एवं लक्ष्य चूर-चूर हो गए हों तो अवशेषों के भीतर तलाश कीजिए। आपको उनके भीतर छिपा कोई सुनहरा मौका अवश्य मिलेगा।

लोगों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करना और हताशा से उबारना हर नेता के लिए हमेशा एक चुनौती भरा काम होता है। संगठनों में बदलाव लाने के मामलें में एक नेता स्वीकृति और प्रतिरोध के बीच का रास्ता तलाश करता है।

Ans. When a person sees himself, he makes a estimation wrong about himself. He sees only his objectives. Most people move with good objectives and believe that whatever work they are doing, it will result in good consequence. Neutral evaluation of one's actions is difficult for any person, which can cause and often does lead to contradictions in his good objectives. Most people come with the intention of working and does their work in a way that they find convenient; And in the evening go home with a feeling of satisfaction. They do not evaluate their work. They evaluate only their intentions. It is believed so, because any person intends to finish his work within time and if there is delay then it is beyond his control. He has no intention of delaying the work. But if his mode of work or laziness causes delay, is it not intentional?

The problem is that instead of struggling with life, we often start analyzing it. People, instead of learning something from their failures or experiencing them, begin to dissect their causes and effects. Through difficulties and crises, God gives us the opportunity to grow. Therefore, when your hopes, dreams and goals are crushed, then search within the remains. You will definitely find a golden opportunity hidden within them.

To increase the efficieny of people, motivating them and recovering from frustration is always a challenge for every leader. A leader seeks the path between acceptance and resistance in the context of bringing changes in organizations.

Q5. निम्नलिखित गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए: (1×20 = 20)

Translate the following passage into Hindi:

Freedom has assuredly given us a new status and new opportunities. But it also implies that we should discard selfishness, laziness and all narrowness of outlook. Our freedom suggests toil and the creation of new values for old ones. We should so discipline ourselves as to be able to discharge our responsibilities satisfactorily. If there is any one thing that needs to be stressed, it is that we should put in action our full capacity, each one of us in productive effort — each one of us in his own sphere, however humble. Work, unceasing work, should now be our watchword. Work is wealth, and service is happiness. The greatest crime today is idleness. If we root out idleness, all our difficulties, including even conflicts, will gradually disappear. Whether as constable or high official of the state, whether as

businessmen or industrialist, artisan or farmer, each one is discharging the obligation to the state, and making a contribution to the welfare of the country. Honest work is the anchor to which we should cling if we want to be saved from danger of difficulty. It is the fundamental law of progress.

Ans. स्वतंत्रता ने हमें निश्चय ही नयी स्थिति तथा नये अवसर दिये हैं, परन्तु इसका यह आशय है कि हमें स्वार्थ, आलस्य तथा संकीर्ण अंतर्दृष्टि को त्याग देना चाहिए। हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारे लिए कठिन परिश्रम तथा नये मूल्यों का निर्माण करता है। हमें अपने दायित्वों के संतोषप्रद निर्वहन को लेकर अधिक अनुशासित होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए, तो वह यह है कि हममें से हर एक को अपनी पूरी क्षमता से उत्पादक कार्यों में लगना चाहिए। हालांकि हममें से हर एक को अपने क्षेत्र में विनम्र होना चाहिए। कार्य ही हमारा प्रहरी होना चाहिए। कार्य ही धन और सेवा ही आनंद है। आज आलस्य ही सबसे बड़ा अपराध है। यदि हम आलस्य को जड़ से समाप्त कर देते हैं तो संघर्ष सहित हमारी सारी कठिनाइयाँ धीरे-धीरे गायब हो जाएँगी। चाहे सिपाही हो या राज्य का उच्चाधिकारी, चाहे व्यवसायी हो या उद्योगपति, कारीगर हो या किसान, प्रत्येक राज्य के लिए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, और देश के कल्याण में अपना योगदान दे रहा है, ईमानदारीपूर्ण कार्य वह सहारा है जिसका प्रयोग हमें खतरे एवं कठिन परिस्थितियों में बचाव के लिए करना चाहिए। यही प्रगति का मूल नियम है।

Q6. (a) निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए: (2×5 = 10)

(i) आकाश-पाताल एक करना **(ii)** घी के दीये जलाना

(iii) तारे तोड़ लाना **(iv)** घर भरना

(v) टाँग पसार कर सोना

(b) निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए: **(2×5 = 10)**

(i) शायद आज वर्षा अवश्य होगी।

(ii) मुझे एक पानी का गिलास चाहिए।

(iii) मैंने खाना खाना है।

(iv) मोहन और शीला बाजार जा रही हैं।

(v) जुलूस में सैंकड़ों हाथियाँ शामिल थे।

(c) निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए: **(2×5 = 10)**

(i) दूध **(ii)** आँख

(iii) यमुना **(iv)** रुधिर

(v) पक्षी

(d) निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए: (2×5 = 10)

(i) अभिनय – अभिनव **(ii)** कपट – कपाट

(iii) गुर – गुरु **(iv)** जूठा – झूठा

(v) बुरा – बूरा

Ans. (a) (i) आकाश-पाताल एक करना

अर्थः कठिन परिश्रम करना

वाक्य प्रयोगः भारतीय सेना के जवानों ने आपदा राहत कार्य के लिए आकाश-पाताल एक कर दिया।

(ii) घी के दीये जलाना

अर्थः खुशियाँ मनाना

वाक्य प्रयोगः 14 वर्ष के वनवास के बाद राम के आयोध्या आने पर आयोध्या, वासियों ने घी के दीये जलाए।

(iii) तारे तोड़ लाना

अर्थः कठिन कार्य करना

वाक्य प्रयोगः प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए प्रेमी ने कहा कि वह उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाएगा।

(iv) घर भरना

अर्थः घर में समृद्धि आना

वाक्य प्रयोगः कठिन परिश्रम करके मनुष्य अपना घर भर सकता है।

(v) टाँग पसार कर सोना

अर्थः निश्चिंत होकर सोना

वाक्य प्रयोगः कुछ लोग पड़ोसी का घर जलता देख कर भी टाँग पसार कर सो जाते हैं।

(b) (i) शायद आज वर्षा अवश्य होगी।

शुद्ध रूपः शायद आज वर्षा होगी

(ii) मुझे एक पानी का गिलास चाहिए।

शुद्ध रूपः मुझे एक गिलास पानी चाहिए।

(iii) मैंने खाना खाना है।

शुद्ध रूपः मुझे खाना खाना है।

(iv) मोहन और शीला बाजार जा रही हैं।

शुद्ध रूपः मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं।

(v) जुलूस में सैंकड़ों हाथियाँ शामिल थे।

शुद्ध रूपः जुलूस में सैंकड़ों हाथी शामिल थे।

(c) (i) दूध : दुग्ध, क्षीर

(ii) आँख : नेत्र, चक्षु

(iii) यमुना : सूर्यसुता, अर्कजा

(iv) रुधिर : रक्त, लहू

(v) पक्षी : खग, पखेरू

(d) (i) अभिनय - अभिनव

वाक्य प्रयोगः अभिनय (अदाकारी) के क्षेत्र में निरंतर अभिनव (नवीन) कार्यों के लिए तैयार रहना चाहिए।

(ii) कपट - कपाट

वाक्य प्रयोगः योगेश ने अपने छोटे भाई को घर से निकालने के लिए उसे कपट (छल) करके घर से बाहर भेजा और कपाट (दरवाजा) बंद कर दिया।

(iii) गुर - गुरु

वाक्य प्रयोगः अर्जुन ने अपने गुरु (शिक्षक) द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या के गुर (गुण) सीखे थे।

(iv) जूठा - झूठा

वाक्य प्रयोगः क्या कोई अपने मित्र को जूठा (खाने के बाद बचा भोजन) भोजन खिला सकता है; कोई झूठा (झूठ बोलने वाला) व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है।

(v) बुरा - बूरा

वाक्य प्रयोगः बाजार में एक बुरा (गलत) व्यक्ति चीनी बताकर बूरा (चीनी का बारीक चूर्ण) बेच रहा था।